प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –777 / 2022

अनवान : –

1. विकास पुत्र स्व0 रामकुमार जाति जाट निवाासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

—— **वादी**

बनाम्

1. गणेशाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. राजेश कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. लालचन्द पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. अन्जना पुत्री स्व0 रामकुमार पत्नी सतीश कुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
6. गुड्डी पुत्री गणेशाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
7. आशा पुत्री गणेशाराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 16.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 81 / 83 की कुल 11.4950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व मे वादी के दादा गणेशाराम पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। वादी का पिता रामकुमार व वादी की माता सुमन का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी स0 5 है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज हैं। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 7 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 5 जो की वादी की बहिन है एवं प्रतिवादीया स0 6 व 7, वादी एवं प्रतिवादी स0 3 ता 4 की भुआ है एवं प्रतिवादी स0 2 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक [illegible] वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवा[illegible] है वादग्रस्त भूमि अपने नाम नही रखना चाहता है अपना जो भी हक हिस्सा है [illegible]दी एवं प्रतिवादी स[illegible] 4 के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:41 IST
Reason: SelfAttested

परित्याग कर चुका है। बाद हक त्याग रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 81/83 की कुल 11.4950 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन कर वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 81/83 की कुल 11.4950 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1, 6 व 7 हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग उक्त भूमि में वादी अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीया स0 5 अकेली 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2, 3 व 4 प्रत्येक 1/6, 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा चाहते है। वाद भूमि मुताबिक राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा दलपतपुरा सम्वत 2070–73 खाता स0 81/83 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र रामकुमार प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र सुमन प्रदर्श–3, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत 2029–38 ग्राम पंचायत दलपतपुरा आदि प्रदर्शित करवायें। प्रतिवादी स0 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का इकबाल/राजीनामा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 81/83 की कुल 11.4950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, [illegible] दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा पेश [illegible] तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा [illegible] प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी प्रतिवादीण एवं वादी की आपसी सहमति तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 81/83 की कुल 11.4950 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/4 हिस्सा का प्रतिवादीया स0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी स0 2, 3 व 4 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीन जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दलपतपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –777 / 2022

अनवान : –

1. विकास पुत्र स्व0 रामकुमार जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

–– **वादी**

बनाम्

1. गणेशाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. राजेश कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. लालचन्द पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. अन्जना पुत्री स्व0 रामकुमार पत्नी सतीश कुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
6. गुड्डी पुत्री गणेशाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
7. आशा पुत्री गणेशाराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 777 सन 2022 निर्णय दिनांक 16.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 81/83 की कुल 11.4950 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/4 हिस्सा का प्रतिवादीया स0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी स0 2, 3 व 4 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:41 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दलपतपुरा